



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर-305001

No - 0469

क्रमांक: अ.वि.वि.नि.लि., / अ.एवं प्र.नि / अ अ(योजना) / प्रे. दिनांक:

2 MAY 2003

आदेश-66

विषय:- शहीद के पारिवारिक नातेदार (Next Kin) को सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के परिपत्र संख्या आर.ई.अ.ज.-38 दिनांक 29.7.02 व आर.ई.अ.ज.-45 दिनांक 26.10.2002 में प्रावधान किया हुआ है कि 1962, 1965 व 1971 के युद्धों तथा कारगिल, द्रास व अन्य क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही के दौरान सैनिकों अथवा अर्द्ध सैनिक बलों के वीर गति प्राप्त सैनिकों के स्वयं के नाम अथवा उनकी विधवाओं या पुत्र-पुत्री के नाम यदि भूमि नहीं हो तो उनके माता-पिता के नाम भी कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की 55 वीं बैठक दिनांक 7.4.2003 में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी समय देश के किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के दौरान शहीद हुए सैनिक / अर्द्ध सैनिक के परिवार के सदस्य (Next Kin) के बारे में प्रमाण पत्र सम्बन्धित सैनिक या अर्द्धसैनिक संस्था से प्राप्त हो गया हो तो प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन जारी किया जावे।

(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, हाथी भाटा, अजमेर - 305 001 दूरभाष : 0145 - 421430 (फैक्स) 0145 - 429196

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., _____।
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. श्रीमान् सचिव (प्र.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. उपसचिव (प्रशा.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., _____।

11. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

12. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

13. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।

14. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

Zonal Sr AOC Revenue, AWNL, अजमेर, जयपुर, जयपुर, अजमेर, 5-192
संभागीय वीरेड लेखाधिकारी (राजस्व), अ. वि. वि. नि. लि., अजमेर, 33451

वृत्त लेखाधिकारी (परिचासन एवं संधारण) अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अ. वि. वि. नि. लि., अजमेर

अ. वि. वि. नि. लि., अजमेर, वांनवाडा, श्रीनवाडा, किरीडागड,
उदमपुर, जयपुर, सीकर, 5-32